भाग दो - खण्ड दो मध्यूदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966

मध्य ूदेश शासन, वन िवभाग भोपाल की अिधसूना ब. 1724-दस-66 िदनांक 14-2-1966 (म.ू. राज्यपऽ, (असाधारण) िदनांक 14-2-66 पृष्ठ 499-527) मध्यूदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार िविनयमन) अिधिनयम, 1964 (ब. 29, वषर् 1964) की उपधारा 19 द्वारा ूदत्त शिक्तयों को ूयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा िनिम्नलिखत िनयम जो िक उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा आपेिक्षत िकये गये अनुसार पूवर् में ूकािशत िकये जा चुके हैं, बनाता है, अथार्त् -

1. संक्षप्त नाम तथा ूारम्भ - ये िनयम मध्य ूदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार िविनयमन) िनयमावली, 1966 कहलावेंगे।2. पिरभाषायें - उन िनयमों में, जब तक ूसंग से अन्यथा अपेिक्षत न हो -

(1) ''अिधिनयम'' से तात्पयर् मध्य ूदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार िविनयमन) अिधिनयम 1964 है।

1(2) लुप्त।

1(3) लुप्त।

(4) ''खण्डीय वन पदािधकारी'' से तात्पयर् उस वन पदािधकारी से है जो वन खण्ड का ू भारी हो। (वन मण्डलािधकारी)

1(5) लुप्त।

(6) ''ूारूप'' (Forms) से तात्पयर् इन िनयमों से संलग्न ूारूप से है।

(7) ''बेता'' (Purchaser) से तात्पयर् ऐसे व्यिक्त या पक्ष से हैं, िजसे ऐसी रीित में, िजसका िक राज्य शासन धारा 12 के अधीन िनदेर्श दे, तेन्दू पत्ते बेचे गये हों।

(8) ''धारा से तात्पयर् अिधिनयम की धारा से है।

(9) ''मानक बोरा'' (Standard bag) से तात्पयर् ऐसे बोरे से है िजसमें पत्तो ंकी 1000 मानक गिड्डयां हों, और जहां मानक गिड्डयां बोरे में भरी जाती हों, वहां मानक बोरा के संदभर् में 1000 गिड्डयां सन्दभर् के रूप में लगाया जायेगा।

(10) ''मानक गड्डी'' से तात्पयर् ऐसी गड्डी से है िजसमें 50 तेन्दू पत्त हों।

(11) ''पिरवहन अनुज्ञा पऽ'' से तात्पयर् तेन्दू पत्तों के पिरवहन के िलये धारा 5 की उपधारा (2र खण्ड (ख) के अधीन जारी िकये गये अनुज्ञा पऽ से है।

(12) उन समःत अन्य शब्दों एवं अिभव्यिक्तयों (Expressions) का, जो इन िनयमों में ूयोग में लाई गई हों, िकन्तु उसमें पिरभािषत न की गई हों, बमश वही तात्पयर् होगा जो िक उनके िलये अिधिनयम में िदया हो।

23 अिभकतार् की िनयुिक्त - िवलोिपत 2

---

1. िनयम 2 के उपिनयम (2), (3), (5) अिध. ब. एफ. 26.2.2002 दस-3 िदनांक 6.1.09 द्वारा लुप्त।

2. म.ू. शासन, वन िवभाग अिध. ब. 18-2-8-द-खखख िद. 29-11-88 (जो म.ू. राजपऽ (असाधारण) िदनांक 30-11-88 पृष्ठ 2371 पर ूकािशत) के द्वारा िनयम 3 िवलोिपत।

4. पिरवहन अनुज्ञा पऽ: (1) पिरवहन अनुज्ञा पऽ िनम्न चार ूकार के होंगे और ऐसे अिधकािरयों अथवा व्यिक्तयों द्वारा िदये जायेंगे जो उनके सामने विणर्त हैं।

....
....

.... अनु. परिवहन अनुज्ञा-पS
के ूकार अनुज्ञा-पS जारी करने
वाला अधिकारी

(1) (2)

....
....

I. तेन्दू पत्ते के संमह केन्ि (फड़) से

अनुज्ञा पS टी. पी. I मुख्य (ख) सहायक
अनुज्ञा पS (टी.पी. I)सहायक)।
कोई अन्य अधिकारी।

II. एक संमहागार से दूसरे संमहागार तथा

अथवा िवतरण केन्िोंं तक परिवहन
हेतु (प.अ.) (T.P. 2.)
या उसके द्वारा िलिखत में
ूािधकृत कोईअधिकारी या
व्यिक्त, िनिश्चत माSा
तथा अविध तक।

III. िवतरण केन्िोंं से सट्टेदारों
या मजदूरों तकखण्डीय वन पदािधकारी
(वन मण्डलािधकारी)

द्वारा संशोिधत।
में अधिकतम माSा की सीमा
वन मण्डलािधकारी द्वारा
िनधार्िरत की जावेगी।

IV. राज्य के बाहर परिवहन के िलए (क)

मुख्य अनुज्ञा पS- फामर् पिर. अनुज्ञा. 4
(मुख्य) T.P. 4(main) (ख) सहायक
अनुज्ञा पS-फामर् पिर. अनुज्ञा. 4 (सहा.

(T.P. 4 Subsidiary)
(Divisional Forest Officer) ।या
उनके द्वारािलिखत में अधिकृत अन्य
अधिकारी
सहायक खंडीय वन पदािधकारी
(Sub-Divisional Officer) या
खण्डीय
वन पदािधकारी द्वारा ूािधकृत
कोई अन्य अधिकारी या व्यिक्त

परन्तु खण्डीय वन पदािधकारी (Divisional Forest Officer), यिद उसके पास यह िवश्वास करने का कारण हो िक उनके द्वारा परिवहन अनुज्ञा-पS जारी िकये जाने के िलये ूािधकृत अधिकारी या व्यिक्त योग्य नहीं है, तो वह ऐसा अधिकार तुरन्त रद्द कर देगा।

4. (2) ऊपर बताये गये िकसी भी ूकार के परिवहन अनुज्ञा पS को जारी करने के िलए आवेदन पS ूारूप 'घ' में होगा और खण्डीय वन पदािधकारी (Divisional Forest Officer) को ूःतुत िकया जायेगा जो िक अनुज्ञा-पS ःवीकृत करेगा अथवा अनुज्ञा पS जारी करने के िलये िकसी अन्य अधिकारी या व्यिक्त को ूािधकृत करेगा।

परन्तु खण्डीय वन पदािधकारी (Divisional Forest Officer) यिद उसके पास यह िवश्वास करने का कारण है िक पत्ते, िजसके सम्बन्ध में आवेदन िदया गया है, शासन द्वारा उसके पदािधकारी अथवा अिभकतार् के बय नहीं िकये गये हैं तो आवेदन को पिरिःथितयों के अनुसार, जैसा उिचत हो, सुनवाई का अवसर देते हुए, िलिखत में आदेश देकर, ऐसे आवेदन पS को ऐसी अःवीकृित का कारण दशार्ते हुए अःवीकृत कर सकेगा।

4. (3) समःत ूकार के परिवहन अनुज्ञा पS िनम्निलिखत शतोर्ं के अधीन होंगे -

(क) तेन्दू पत्ते के प्रत्येक परेषण (Consignment) के सड़क, रेल, जल तथा हवाई, िकसी भी परिवहन साधन में ले जाते समय, सम्बिन्धत ूकार का परिवहन अनुज्ञा पS उसके साथ होगा।

(ख) पत्तों का परिवहन केवल उस मागर् द्वारा की िकया जायेगा, जो िक अनुज्ञा-पS में उिल्लखत हो और जांच पड़ताल के िलये उन्हें ऐसे ःथान या ःथानों पर पेश िकया जायेगा जो िक उसमें उिल्लखत िकये जावें।

(ग) खण्डीय वन पदािधकारी या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा ूािधकृत िकये गये पदािधकारी की िलिखत अनुज्ञा के िबना सूयार्ःत के पश्चात तथा सूयोर्दय के पूवर् िकसी भी समय परिवहन नहीं िकया जायेगा।

(घ) अनुज्ञा-पS ऐसी कालाविध के िलये मान्य होगा जो िक उसमें उिल्लखत की जाये।

(ङ) परिवहन अनुज्ञा-पS, खण्डीय वन पदािधकारी (Divisional Forest Officer) द्वारा रद्द िकया जा सकेगा यिद उसे यह िवश्वास करने का कारण है, िक उसका दुरुपयोग िकया गया है या दुरुपयोग िकये जाने की समभावना है।

(च) समःत परिवहन अनुज्ञा-पS, तेन्दू पत्तों के परिवहन के पश्चात् अथवा उसमें दशार्ई कालाविध व्यतीत होने के पश्चात् जो भी पूववर्तीर् हो, समीपःथ खण्डीय वन पदािधकारी (Divisional Forest Officer) अथवा पिरक्षेS अधिकारी (Range Officer) को, एक पखवाड़े के भीतर वापस कर िदये जायेंगे।

15. तेन्दू पत्ता उत्पादकों से तेंदू पत्ता बय िकये जाने हेतु दर िनधार्रण की ूिबया: राज्य सरकार, िनयम 7 के उपबन्धों के अधीन, तेन्दू पत्ते की िभन्न-िभन्न इकाइयों या क्षेSीय वन मण्डल में पूवर् में ूाप्त िकये िवबय मूल्य तथा ूचिलत पिरवतर्नीय बाजार की दरों को ध्यान में रखते हुए तेन्दूपत्ते के िलए बय दर का िनधार्रण करेगी।

(2) मंSणा सिमित उस सम्भाग के राजःव आयुक्त के मुख्यालय में अपना अिधवेशन करेगी, िजसके िलये वह गिठत की गई है।

(3) सिमित के ूत्येक अिधवेशन की अध्यक्षता सभापित द्वारा तथा उसकी अनुपिःथित में संयोजक द्वारा की जायेगी। यिद सभापित एवं संयोजक दोनों ही अनुपिःथत हों, तो उपिःथत सदःयगण िकसी एक उपिःथत सदःय को सभापित चुनकर अिधवेशन करेंगे।

(4) सिमित का संयोजक, अिधवेशन के िदनांक, समय और ःथान को िनिश्चत करेगा और सिमित के सदःयों द्वारा सूचना ूाप्त होने िक अभीःवीकृित अिभलेख में रखी जायेगी।

(5) सिमित की चार सदःयों से गणपूितर् (quorum) होगी।
(6) सिमित का कायर् िववरण िहन्दी, में देवनागरी िलिप में इस ूकार तैयार िकया जायेगा िक िजससे उिचत तथा युिक्तयुक्त मूल्य के सम्बन्ध में, िजस पर िक राज्य शासन को छोड़करअन्य उगाने वालों से तेन्दू पत्ते बय िकये जा सकेंगे, सिमित की िसफािरशें तथा ऐसे मामलों पर जो िक राज्य शासन द्वारा उनको िनिदर्ष्ट िकये जायें, उसकी सलाह भी ःपष्ट रूप से ूगट हो जायें।

---

1. म.ू. शासन अिध. ब. एफ. 26-2-2002-दस-3 िदनांक 6.1.09 से धारा (5) ूःथािपत।

(7) बैठक की कायर्वाही (Proceedings), अिधवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यिक्त द्वारा अनुमोिदतकी जायेंगी, और उसका अनुमोदन, सिमित की िसफािरशों की ूामािणकता (Approved) का अिन्तम ूमाण माना जायेगा।

(8) सिमित की सलाह, राज्य शासन को अिधवेशन की कायर्वाही (Conveyed) के द्वारा संसूिचत की जायेगी, जो इस ूकार भेजी जायेगी िक वह सिचव, मध्यूदेश शासन, वन िवभाग को, 15, िदसम्बर तक, या पूवोर्त्तर िदनांक तक, िजसे िक शासन िकसी िविशष्ट वषर् के िलए िनयुक्त करे, पहुंच सके। तथािप राज्य शासन, िकसी िवशेष मामले में िकसी सिमित को धारा 7 के उपबन्धों के अनुसार, और समय अनुज्ञात कर सकेगा िकन्तु इस हेतु (समय के िलए) सिमित की ओर से, संयोजक , द्वारा, ूाथर्ना-पऽ, पयार्प्त समय पूवर् शासन को ूःतुत करना चािहये।

(9) धारा 7 के अधीन िनिश्चत मूल्य िहन्दी तथा अंमेजी दोनों में ही राजपऽ में तथा यिद आवँयक समझा जाये तो सम्बिन्धत आयुक्त सम्भागों में पिरचािलत, ऐसे समाचार-पऽों में िजन्हें सम्बिन्धत वन संरक्षक, िनिश्चत करे, ूकािशत िकये जायेंगे।

(10) (i) सिमित के उन अशासकीय सदःयों को छोड़कर, जो िक मध्य ूदेश िवधान सभा के सदःय हों, अन्य सदःय, को ऐसी याऽा तथा दैिनक भत्ता ूाप्तकरने के हकदार होंगे, जो िक राज्य शासन के ूथम मेड (First Grade) पदािधकािरयों के िलये देय होते हैं।

(10) (ii) याऽा भत्ते के िबल संयोजक को ूःतुत िकये जायेंगे जो उनका सूआम परीक्षण (Scruitiny) कर ूित हःताक्षिरत(Dougntersing) करेगा तथा उन भत्तों को संिवतिरत (Disburse) करेगा।

6. उगाने वालों का रिजःशीकरण-

(1) राज्य शासन के छोड़कर, तेन्दू पत्तों का ूत्येक उगाने वाला, यिद यह सम्भावना हो िक वषर् के दौरान उसके द्वारा उगाये गये पत्तों का पिरमाण, एक मानक बोरे से अिधक हो जायेगा, ःवयं को धारा 10 के अधीन रिजःशीकृत करा लेगा।

(2) उगाने वाले के रूप में रिजःशेशन के िलये आवेदन ूारूप (ड़) में होगा तथा उस पिरक्षेऽ अिधकारी (Range Officer) के समक्ष ूःतुत िकया जायेगा, िजसके क्षेऽािधकार के भीतर, उगाने वाले की वह भूिम िःथत हो िजस पर तेन्दू पत्ता उगते हों। पिरक्षेऽ अिधकारी, सम्यक सत्यापन (Due verification) के पश्चात आवेदन पऽ उसकी ूाप्ति के तीस िदवस के अंदर खण्डीय वन पदािधकारी (Divisional Forest Officer) को अमेिषत करेगा जो ऐसी जांच के पश्चात् जैसी िक वह उिचत समझे, ूारूप 'च' में ूमाण-पऽ देगा या आवेदन पऽ को उसके िलये कारण िलखकर नामन्जूर करेगा।

(3) एक बार जारी िकया रिजःशीकरण ूमाण-पऽ, उस समय तक वैध रहेगा, जब तक िक खण्डीय वन पदािधकारी(Divisional Forest Officer) द्वारा िलिखत में कारण बताते हुए उसे रद्द अथवा संशोिधत नहीं िकया जाता, अथवा जब तक आवेदक के पास ऐसी भूिम है, िजसके िलये िक ूमाण-पऽ िलया गया है, जो भी पूवर्वतीर् हो।

(4) यिद ूमाण-पऽ गुम हो जाता है, अथवा िवकृत हो जाता है, तो ूत्येक ूमाण-पऽ के िलए एक रुपये की देनगी पर, उसकी ूमािणक ूितिलिप खण्डीय वन पदािधकारी से ूाप्त की जा सकती है।

(5) उपरोक्त ूमाण-पऽ, िवबय के िलये, तेन्दू पत्तों का पिरदान िकये जाते समय संमहण केन्िि (फड़) ूःतुत िकया जायेगा, और उगाने वालों के पत्तों के बय के िलये ूािधकृत व्यिक्त, उसके द्वारा बय की गई माऽा को लेखबद्ध करेगा।

(6) यिद शासन द्वारा अपेिक्षत िकया जाये तो, तेन्दू पत्तों को उगाने वाला ूत्येक रिजःशीकरण ूमाण-पऽधारी, ूत्येक वषर् की 15 जुलाई को, खण्डीय वन पदािधकारी (Divisional Forest Officer) या उससे विरष्ठ िकसी अन्य वन पदािधकारी द्वारा िविहत ूारूप में, 30 जून को समाप्त होने वाले वषर् में उसके द्वारा एकिऽत एवं िनवितर्त िकये गये तेन्दू पत्तों का मानक बोरों में लेखा ूःतुत करेगा। उपरोक्त लेखाओं को उिल्लिखत िदनांक तक ूःतुत न करने पर समझा जायेगा िक रिजःशीकरण ूमाण-पऽ रद्द हो गया है।

7. अःवीकृत तेन्दू पत्तों के बारे में जांच की ूिबया -

(1) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन िशकायत ूाप्त होने पर जांच करने वाला अिधकारी, यथा-सम्भव शीय, सम्बिन्धत पक्ष या पक्षों को जांच करने के िलए िनयत ःथान, िदनांक तथा समय सूिचत (Intimate)करेगा।

(2) िनयत िदनांक पर, या िकसी ऐसे पश्चात्वतीर् िदनांक पर, िजस पर िक ःथिगत (Ad-journed) जांच की जावे, ऐसा पदािधकारी, उन पक्षों को या उनके द्वारा सम्यकरूपेण ूािधकृत िकये गये ूितिनिधयों (Representative) की, जो िक उसके सामने उपिःथत (Appear) हों, सुनवाई पश्चात् तथा ऐसी जांच के पश्चात् िजसे िक वह आवँयक समझे, धारा 9की उपधारा

(3) या (4) के अनुसार ऐसा आदेश पािरत करेगा जैसा िक वह उिचत समझे।

(3) यिद पक्ष, या अनेक पक्ष (Parties), जैसी भी िःथित हो, या तो ःवयं या अपने सम्यकरूपेण (Authorised), ूितिनिधयों (Representative) द्वारा उपिःथत न हो, तो जांच अिधकारी ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा िक वह आवँयक समझे, एकपक्षीय (Exparte) िनणर्य लेगा।

परन्तु जांच अिधकारी का यह समाधान हो जावे िक पक्ष या पक्षों के उपिःथत न होने का पयार्प्त कारण था, तो वह ऐसी जांच और करने के पश्चात् जैसी िक वह उिचत समझे, एकपक्षीय आदेश को िनंू

(4) यिद कोई ूितकार (Compensation) िजसके िक चुकाये जाने का आदेश जांच के पिरणामःवरूप िदया गया हो, या कोई भी संमहण व्यय, िजनके िक धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन चुकाये जाने के िलये इस ूकार आदेश िदया गया हो, सम्बिन्धत पक्ष को आदेशों के संसूिचत (Communation) िकये जाने से एक मास के भीतर चुकाये जायेंगे।

िनयम - 8 बीड़ी िविनमार्ताओं/तेन्दू पत्ता िनयार्तकों का रिजःशीकरण

1िनयम 8(1) बीिड़यों का िनमार्ता और/या तेन्दूपत्ता का िनयार्तक वािषर्क रिजःशीकरण फीस रु. 500/- का भुगतान करने के पश्चात् 1 वषर् तथा रु. 2500/- को भुगतान एक बार कराकर 5 वषर् के िलए तथा रिजःशीकरण फीस रु. 5000/- का भुगतान करने के पश्चात् 10 वषर् के िलए भी िकया जा सकेगा।

---

1. म.ू. राजपऽ (असा. िदनांक 26.8.96 पृष्ठ 761 पर ूकािशत। म.ू. शासन वन िवभाग की अिध. ब. एफ 26-4-2005 दस-3 िद. 31-1-07 से धारा 8(1) संशोिधत। जो राजपऽ भाग 4(ग) िद. 16.2.07 के पृष्ठ 37 पर ूकािशत।

1(2) धारा 11 के अधीन रिजःशीकरण के लए आवेदन-पऽ ूारूप ''छ'' में होगा और वह उस खंडीय वन पदािधकारी के समक्ष फाइल िकया जाएगा िजसके िक अिधकािरता के भीतर बीड़ी िनमार्ता तथा / या तेन्दू पत्तों का िनयार्तक रहता हो या उसके कारोबार का मुख्य ःथान िःथत हो। यिद िनमार्ता या िनयार्तक राज्य के बाहर िनवास करता हो, तो वह अपना आवेदन-पऽ, राज्य के भीतर िकसी भी खंडीय वन पदािधकारी को ूःतुत करेगा। आवेदनकतार् वह/वे केलेण्डर वंर्र्ज दशार्एगा, िजसके िलए रिजःशीकरण अपेिक्षत हो। रिजःशीकरण फीस अिमम में जमा की जाएगी तथा इस साआय की ूितिलिप िक धनरािश जमा की गई है, रिजःशीकरण के आवेदन-पऽ के साथ संलग्न की जाएगी। खंडीय वन पदािधकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी िक वह आवँयक समझे, ूारूप ''ज'' में रिजःशीकरण ूमाण-पऽ ूदान कर सकेगा या उस बाबत कारण अिभिलिखत करने के पश्चात् आवेदन-पऽ रद्द कर सकेगा।

1(3) रिजःटथ्ीकरण उतने वषोर्ं के िलये िविधमान्य होगा िजतने वषोर्ं के िलए रिजःशीकरण ूमाण-पऽ जारी िकया गया है।''

(4) ूत्येक रिजःशीकृत बीड़ी िनमार्ता तथा/या तेन्दू पत्तों का िनयार्तक ूारूप 'झ' में तेन्दू पत्तों के लेखाओं का रिजःटर रखेगा। तथा वन क्षेऽपाल से अिनम्न पदािधकारी द्वारा जांच हेतु मांग िकये जाने पर ूःतुत करेगा। वह अपने ःटाक की 31 माचर्, 30 जून, 30 िसतम्बर व 31 िदसम्बर को समाप्त होने वाली ितमाही की िववरणीय वन मण्डलािधकारी को ूकर सकेगा यथोिचत आदेश ूःतुत करेगा।

(5) खण्डीय वन पदािधकारी द्वारा उप-िनयम (1) के अधीन मंजूर िकये गये रिजःशीकरण ूमाण-पऽ ूाप्त होने पर ूत्येक बीड़ी िनमार्ता तथा/या तेन्दू पत्ता के िनयार्तक, ूारूप 'ट' में एक घोषणा 31 माचर् तक, या एसे अन्य िदनांक तक जो िक शासन द्वारा उिल्लिखत की जावे ूःतुत करेगा।

(6) यिद ूमाण-पऽ गुम हो जावे या िवकृत हो जावे,

तो ऐसे ूमाण-पऽ की ूितिलिप खण्डीय वन अिधकारी के द्वारा ूत्येक ूमाण-पऽ के िलये पांच रुपये का भुगतान करने पर ूाप्त हो सकेगी।

(7) ऐसे बीिड़यों के िनमार्ता या /और ोन्दू पत्तों का िनयार्तक का रिजःशीकरण ूमाण-पऽ, िजसने िक अिधिनयम, इन िनयमों, या राज्य शासन के साथ िकये गये करार की िकन्हीं शतोर्ं का उल्लंघन िकया हो, िजसके पिरणामःवरूप अिधिनयम की धारा 15 के अन्तगर्त दिण्डत िकया हो तो या उसके करारनामे को समाप्त कर िदया गया हो तो रिजःशेशन वन संरक्षक द्वारा रद्द िकया जाने योग्य होगा और ऐसे बीड़ी िनमार्ता या/और तेन्दू पत्ता िनयार्तक का रिजःटथ्ीकरण ऐसी कालाविध के िलये, जो िक 3 वषर् तक बढ़ाई जासकती है, अःवीकृत िकया जा सकेगा:

परन्तु यिद बीिड़यों का िनमार्ता बीिड़यों का िनमार्ता या/और तेन्दू पत्तों का िनयार्तक उपरोक्त आदेश से असन्तुष्ट है, तो वह राज्य शासन को अपील कर सकेगा।

---

1. म.ू. शासन, वन िवभाग अिध. ब. एफ-26-4-94 दस-3 िद. 24.8.96 द्वारा धारा 8 के पैरा 1, 2, 3 ूितःथािपत।

9. िबबी ूमाण-पऽ - शासन या उसका पदािधकारी या अिभकतार्, जो बेता के पत्तों का िवबय या पिरदान करता हो, उसे ूारूप 'ठ' में िवबय ूमाण-पऽ मन्जूर करेगा। ऐसा कोई व्यिक्त जो धारा 12 के अधीन, शासन से पत्तों का बय करने का दावा करे उससे यह अपेक्षा की जायेगी िक वह अपने दावे के समथर्न में िवबय ूमाण-पऽ पेश करे, िजसके पेश न करने पर दावा ूितमहीत नहीं िकया जायेगा।

10. िनरसन - मध्यूदेश तेन्दू पत्ता मंऽणा सिमित तथा मूल्य ूकाशन िनयम, 1964 और मध्य ूदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार िविनयमन) िनयमावली, 1965 एतद्द्वारा िनरःत की जाती है:

परन्तु इस ूकार िनरिसत िनयमाविलयों के अधीन की गई कोई भी बात या कार्यवाही इस िनयमावली के की गई समझी जावेगी।

िटप्पणी - यािचकाकतार् को तेन्दू पत्ते की खरीदी ःवीकृत हुई। तेन्दू पत्ते की खरीदी से सम्बिन्धत इकरारनामे में इस बात का ःपष्ट उल्लेख था िक नवीकरण का आवेदन ःवीकृित या िनरःतीकरण के पूवर् वापस नहीं िकया जा सकेगा तथा इन शतोर्ं के उल्लंघन की दशा में ूितभूित की रािश जप्त करने का ूावधान था। यािचककतार् ने आवेदन की ःवीकृित या िनरःतीकरण के पूवर् नवीनीकरण के आवेदन की वापसी हेतु सूिचत िकया। ऐसी िःथित में ूितपूितर् की रािश इकरारनामें की शतोर्ं के अनुसार जप्त की जासकती है।

1ूा रूप क (िवलोिपत)

1 ूारूप ख (िवलोिपत)

1 ूारूप ग (1) िवलोिपत)

ारूप ग

बेता का करारनामा

(िनिवदा सूचना की शतर् 16 (क))

यह करार आज, िदनांक .... मास............ सन् ....को ूथम पक्ष के माफर्त कायर् करते हुए, मध्यूदेश के राज्यपाल (िजन्हें इसमें इसके आगे ‘शासन’ कहा गया है, िजस अिभव्यिक्त में उनके उत्तरािधकारी, ूितिनिध तथा अिभहःतांिकती सिम्मिलत होंगे) तथा िद्वतीय पक्ष ौी .... आत्मज ....माम......... पुिलस थाना .... िजला............ िजन्हें इसमें आगे बेता कहा गया है िजस अिभव्यिक्त में उनके दायाद, उत्तरािधकारी, ूितिनिध तथा अिभहःतांिकती सिम्मिलत होंगे) व्यिक्त के मध्य िकया जाता है।

चूंिक तेन्दू पत्तों का व्यापार तेन्दू पत्ता (व्यापार िविनयमन) अिधिनयम, 1964 तथा उसके अधीन बनाये गये िनयमों के उपबन्धेां द्वारा िविनयिमत होता है।

और चूंिक शासन इस ूयोजन के िलये िविभन्न इकाईयों में बेताओं की िनयुिक्त करने का इच्छुक है।

और चूंिक शासन ने इसमें इसके पश्चात् िदये हुए िनबन्धनों तथा शतोर्ं पर बेता की पेशकश को ूितमहीत कर िलया और उसे व खण्ड में इकाई बमांक .... में 31 जनवरी को समाप्त होने वाली अविध के िलये बेता के रूप में िनयुक्त करने के िलये रजामन्द हो गया है।

अब यह ूलेख िनम्निलिखत बातों का साक्षी है और सम्बिन्धत पक्ष, पतद्द्वारा िनम्निलिखत रूप से परःपर करार करते हैं –

---

1. म.ू. शासन, वन िवभाग, अिकध. ब. 18-2-8- िद. 29.11.88 से िवलोिपत।

(1) व खण्ड की इकाई बमांक .... में िजसे अनुसूची ‘क’ में अिधक पूणर्ता से विणर्त िकया गया है (जो इसमें इसके आगे ‘इकाई’ रूप में िनिदर्ष्ट है) में उत्पािदत शासकीय वन तथा भूिमयों से उत्पन्न तेन्दूपत्ता का संमहण बेता करेगा। बेता द्वारा संमहण काल के दौरान इकाई की अनूसूची ‘ख’ में िनधार्िरत समःत फड़ों पर तेन्दूपत्ता संमहण वन मण्डलािधकारी के िनदेर्शों के अनुसार करेगा। यिद बेता द्वारा संमहण कायर् संतोषजनक रूप से करना नहीं पाया जाता तो वन मण्डलािधकारी पत्ते का िवभागीय संमहण कराकर पत्ते का पिरदान वाःतिवक पूणर् संमहण व्यय की बेता द्वारा अदायगी करने पर बेता को देंगे िजसे बेता को लेना होगा। यिद बेता पिरदान नहीं लेता है तो वन मण्डलािधकारी पत्तों को बेंच सकेगा तथा अवशेष मूल्य की रािश बेता से वसूल की जायेगी।

इकाई के बाहर का तेन्दूपत्ताबेता संमहण नहीं करेगा। इसी इकाई के िनजी उत्पादकों से शासन अथवा उसके पदािधकारी या अिभकतार् द्वारा बय िकये गये पत्तों की सम्पूणर् माSा िजसकी पेशकश की गई हो का पिरदान लेगा।

(2) यह करार .... से ूारम्भ होगा और िदनांक .... तक ूवृत्त रहेगा जब तक िक इस ूकार के िनबन्धनों तथा शतोर्ं के अनुसार पूवर् ही पिरविसत न कर िदया जाये।

(3) इस करार के सम्बन्ध में यही और सदैव यही समझा जायेगा िक वह मध्यूदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार िविनयमन) अिधिनयम 1964 के और उसके अधीन बनाये गये िनयमों के और उक्त अिधिनयमों तथा िनयमों के अधान समय-समय पर जारी िकये गये आदेशों तथा अिधसूचना के तथा साथ ही मुख्य वन संरक्षक (उ.) की अिधसूचना बमांक .... िदनांक .... के अधीन जारी की गई िनिवदा सूचना के िनबन्धनों तथा शतोर्ं के जो इस ूकार करार के भाग होंगे और उसके भाग बने गये समझे जायेंगे और िजनका यह अथर् लगाया जायेगा िक इस ूलेख में िविनिदर्ष्ट रूप से उपबिन्धत है, उपबन्धों के अध्यधीन है।

(4) बेता एतद्द्वारा शासन के साथ िनम्नानुसार अभिव्यिक्त रूपेणकरार करता है -

(क) बेता शासन को, उसके शासकीय वनों तथा भूिमयों से रूपये .... ूित मानक बोरा की दर से संमहण िकये गये तेन्दूपत्तों की समःत माऽा एऽा एवं शासन द्वारा यह उसके पदािधकारी अिभकतार् द्वारा िदनांक .... को समाप्त होने वाली अविध के दौरान हरे कच्चे िबना बोरे में भरे िनजी उत्पादकों से बय कर रािश की अदायगी करेगा िजसमें सेल्स टैक्स, वन िवकास उपकर तथा अन्य कर एवं संमहण व्यय शािमल नहीं है।

नोट - बेता उसको दी जाने वाली तथा उसके द्वारा संमहण की जाने वाली ूित मानक गड्डी िजसमें बीड़ी बनाने योग्य ही 50 तेन्दूपत्ते होंगे में 5 पत्तों की कमी या बेशी बाबत कोई आपित्त नहीं उठावेगा।

(ख) (एक) ऐसी तेन्दू पत्तों की माऽा जो शासन द्वारा या उसके पदािधकारी या अिभकतार् द्वारा िनजी उत्पादकों से बय की जावेगी, के सम्बन्ध के बेता इनमें इसके पश्चात् िनम्निलिखत दी गई रीित में बय मूल्य की देनगी करने के पश्चात् तुरन्त ही पत्ती इकट्ठी होने के िदन से दो िदन के भीतर इकाई में संमह केन्ि या केन्िोंं पर अनुसूची (ख) में विणर्त ःथानों पर जो खण्डीय वन पदािधकारी द्वारा समय-समय पर ूज्ञािपत की जाये, तेन्दू पत्ते का पिरदान लेगा। उपरोक्त अिभूाय के िलये खरीददार अिमम अदायगी करेगा, िजसका िक समायोजन अिन्तम िहसाब के समय में िकया जायेगा।

(दो) उपरोक्त (ख) (एक) में विणर्त ूयोजन के िलये बेता को ूत्येक संमहण केन्ि में एक ूितिनिध रखना होगा, िजससे पत्तों के संमहण करने की ितिथ से, दो िदन के भीतर ही पत्तों का पिरदान लेना होगा, इकाई में पत्तों का संमहण ूारम्भ होने के पूवर् हःताक्षरों के नमूने सिहत ूितिनिधयों के नाम, खण्डीय वन पदािधकारी को ूेिषत िकये जायेंगे।

(तीन) यिद बेता इसके आगे उपबिन्धत रीित से बय मूल्य का भुगतान करने तथा संमहण की ितिथ से दो िदनों के भीतर पत्तों का पिरदान लेने में असफल रहता है, तब खंडीय वन पदािधकारी, ऐसे पत्तों की समःत या आंिशक माऽा का अपने ःविववेक से -

(अ) बेता को पिरदान अःवीकृत करेगा।

(ब) िकसी भी अन्य व्यिक्त को पिरदान कर सकेगा।

(स) बेता को ही िनगरानी खचर् बतौर रुपये 1.00 पित मानक बोरा अितिरक्त धनरािश की वसूली करने के पश्चात् पिरदान और/अथवा

(द) उल्लंघन के िलये करारनामें में उपबंधत कोई भी कायर्वाही कर सकता है। यिद यथािःथित शासन, उसका पदािधकारी या अिभकतार् ऐसे पत्तों की, जो िक बेता को, बाद में पिरदत्त िकये जायें, की सुखाई तथा बोरों में भराई का कायर् करते हैं, तो खंडीय वन पदािधकारी द्वारा, सुखाई तथा बोरों की कीमत सिहत भराई का िनिश्चत खचर् का बेता भुगतान करेगा तथा उनका िनणर्य अिन्तम तथा बन्धनकारी होगा।

(ग) यिद बेता नीचे विणर्त (घ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा शासकीय वन तथा भूिमयों से संमिहत पत्तों को एवं शासन उसके पदािधकारी या अिभकतार् द्वारा िनजी उत्पादकों से बय कर उसे (बेता को) पिरदान हेतु ूःतुत पत्तों को अपने गोदाम में िनरापद रखने के िलये इच्छुक नहीं होता तो वह उपरोक्त समःत तेन्दूपत्तों की संमहण केन्िोंं से िनकासी करने के पूवर् बय मूल्य का भुगतान नीचे िनिदर्ष्ट रीित से करेगा -

(एक) बेता को पिरदान के िलये संभािवत माऽा के िलये अधोिलिखत दरों से पिरक्षेऽािधकारी को अथवा वन मण्डलािधकारी द्वारा अिधकृत िकसी अन्य पदािधकारी को पिरदान के समय अथवा पूवर् नगद में भुगतान ऐसे पदािधकारी से रसीद ूाप्त करके करना होगा।

मद	दर ूित मानक बोरा
(1)	(2)
1. राज्य शासन को छोड़कर अन्य उगाने वालों से पत्ता खरीदी की दर	रुपये
2. शासकीय अिभकतार् को देय हःतन व्यय	रुपये
3. शासकीय अिभकतार् को देय पािरौिमक	रुपये

(दो) बेता संमहण केन्िोंं से उपरोक्त समःत तेन्दूपत्तों की िनकासी करने से पूवर् बाःड बैंक साफ्ट या काल िडपािजट रसीद द्वारा पूणर् मूल्य की शेष रािश का भुगतान करेगा।

(घ) यिद बेता उसके द्वारा शासकीय वन तथा भूिमयों से संमिहत एवं शासन, उसके पदािधकारी या अिभकतार् द्वारा िनजी उत्पादकों से बय कर पिरदान हेतु ूःतुत तेन्दू पत्तों की समःत माऽा को ूदेश के भीतर गोदाम (मों) में खण्डीय वन पदािधकारी द्वारा इस िविशष्ट उद्देँय के िलये अनुमोिदत कराके िनरापद रखने के िलए िलिखत में सहमत होता है। अथवा पिरदत्त पत्ते वन िवभाग से सम्बिन्धत गोदाम (मों) में ऐसी शतोर्ं तथा िनबन्धनों पर जैसे िक पारःपिरक सहमित द्वारा िविनश्चत िकया जाये अथवा बेता पिरदत्त पत्तों को ूदेश के िकसी अन्य वन खण्डों में िःथत अपने गोदाम (मों) से सम्बिन्धत खण्डीय वन पदािधकारी िजसके क्षेऽािधकार में वह इकाई िःथत हो, से अनुमोिदत कराके िनरापद रखने के िलए िलिखत रूप से सहमित देता है तथा जब तक गोदामों में रखे जाने, वाले पत्तों के बाबत सम्पूणर् रकम जमा नहीं हो जाती, तब तक उसके पयार्प्त िनयंऽण के िलये एक फारेःट गाडर् के रखने में उस पर लगाने वाले समःत िनरीक्षण व्यय रुपये 456/- ूितमाह की दर से तथा इसमें समय-समयपर होने वाली वृिद्ध सिहत वहन करने एवं उस रकम को अिमम रूप से जमा करने की िलिखत रूप से सहमित देता है तो वह नीचे िनिदर्ष्ट रीित से बय मूल्य का भुगतान करेगा -

(एक) बेता, शासन या उसके पदािधकारी या अिभकतार् द्वारा िनजी उत्पादकों से बय कर पिरदान हेतु ूःतुत िकये गये तेन्दूत्त

पत्तों की माऽा के िलए अधोिलिखत दरों से पिरक्षेऽािधकारी को अथवा वन मण्डलािधकारी द्वारा अिधकृत िकसी अन्य पदािधकारी को पिरदान के समय अथवा उसके पूवर् नगद में भुगतान करेगा, ऐसे पदािधकारी से रसीद ूाप्त कर रखना होगा।

मद	दर ूित मानक बोरा
(1)	
1. राज्य शासन को छोड़कर अन्य उगाने वालों से पत्ता खरीदी की दर .... रुपये	
2. शासकीय अिभकतार् को देय हःतन व्यय .... रुपये	
3. शासकीय अिभकतार् को देय पािरौिमक .... रुपये	

(दो) आंिशक बय मूल्य जो पूणर् बय मूल्य का दस ूितशत होगा का भुगतान पन्िह मई, 1984 तक बाःड बैंक साफ्ट्स या काल िडपािजट रसीद द्वारा करेगा।
(तीन) शेष बय मूल्य का अनुमानत तीन बराबर िकँतों में बाःड बैक साफ्ट्स या काल िडपािजट रसीद द्वारा भुगतान करेगा।

(2)	
पहली िकःत	1 अक्टूबर
दूसरी िकःत	1 नवम्बर
तीसरी िकःत	1 िदसम्बर

जैसे ही बेता एक िकःत का भुगतान कर देता है, वह इस शतर् के उपबन्धों के अन्तगर्त गोदाम में रखे 1/3भाग को पाने का हकदार बन जायेगा। यिद बेता द्वारा िकसी िकःत का भुगतान आंिशक रूप से िकया जाता है तो उसे भुगतान की गई रकम के मूल्य का तेन्दू पत्ता गोदाम से पिरदान िकया जायेगा।

(चार) यिद बेता उपरोक्त उपशतर् (ग) एवं (घ) (तीन) के ःथान पर बैंक गारंटी देने एवं पत्ता ूाप्त करने की सुिवधा उठाना चाहता है, तो उसे इकाई की ःवीकृित बय रािश िजसमें समःत कर शािमल है, के बराबर की रािश अनुसूिचत बैंक की गारंटी उस फमर् में जो शासन द्वारा िनधार्िरत िकया जायेगा तथा िजसकी अविध 31 माचर्, 200.............. तक होगी 15 जून.................. तक सम्बिन्धत वन मण्डलािधकारी के नाम उनके कायार्लय में जमा करनी होगी। इस बैंक गारंटी के आधार पर बेता को उसके द्वारा संमहण िकये गये तथा िनजी उत्पादकों के शासन, उसके पदािधकारी या अिभकतार् से उपशतर् ितहाई भाग 2/3 पिरवहन करने की अनुमित दी जा सकेगी, बेता द्वारा बय रािश िजसमें िवबय कर, वन िवकास उपकर एवं अन्य कर भी सिम्मिलत होंगे, का भुगतान उपशतर् (तीन) में िनधार्िरत देय ितिथयों को बाःड बैंक साफ्ट या काल िडपािजट रसीद द्वारा करना होगा।

ू थम िकःत की देय ितिथ को देय िकःत की भुगतान कर देने पर बेता को गोदाम में रखी शेष माऽा मुक्त कर दी जायेगी, यिद बेता द्वारा देय ितिथ/ितिथयों को िकःतों का भुगतान नहीं िकया जाता है, तो देय रािश की वसूली बैंक गारण्टी से की जायेगी। जब तक पत्ता गोदाम में रहेगा, गोदामीकरण से सम्बिन्धत उपशतर् (2) एवं (3) बेता पर लागू होगी। बेता द्वारा बय रािश की बैंक गारंटी देने के बावजूद करारनामें की शतर् ब. 4(घ) (1) (दो) के अनुसार 10 ू.श. आंिशक बय की रािश 15 मई .... तक जमा करना आवँयक होगा।

(5) यिद बेता पूणर् बय मूल्य की रािश के ःथान पर 45 ूितशत बय रािश (िजसमें समःत कर शािमल हैं) की बैंक गारंटी 31 माचर्, 20............ तक की उपरोक्तानुसार ूःतुत करता है तो उसे गोदाम में रखे पत्तों का 1/3 भाग मुक्त िकया जायेगा। ूथम िकःत की देय ितिथ को ूथम िकःत का भुगतान बःड बैंक साफ्ट या काल िडपािजट रसीद द्वारा बय कर िदए जाने पर बेता को इसी बैंक गारंटी पर गोदाम में शेष बचे पत्तों की माऽा में से आधी माऽा (बराबर कुल संमहण की एक-ितहाई माऽा) मुक्त कर दी जायेगी।

(6) दूसरी िकःत की देय ितिथ को देय िकःत का भुगतान कर देने पर बेता की गोदाम में रखी अंितम शेष माऽा (बराबर) कुल उत्पादन के एक-ितहाई माऽा को मुक्त कर दी, जायेगी, तीसरी िकँत की देय ितिथ को िकँत का भुगतान बेता द्वारा िकया जायेगा। यिद बेता द्वारा देय ितिथ/ितिथयों को भुगतान िकःतों का भुगतान नहीं िकया जाता है तो देय रािश की वसूली बैंक गारंटी में से की जायेगी। पुनः आगामी िकःत के िलये इस सुिवधा का लाभ उठाने के िलये बेता को नई बैंक गारंटीदेनी होगी। बेता द्वारा उपरोक्तानुसार समःत देय रािश का भुगतान कर िदये जाने पर पूणर् बय मूल्य की बैंक गारंटी अथवा 45 ूितशत मूल्य की बैंक गारंटी को मुक्त कर िदया जोयगा, जब तक पत्ता गोदामों में रहेगा, गोदामीकरण से सिम्बधत उपशतर् (2) एवं (3) बेता पर लागू होगी। बेता द्वारा बैंक गारंटी देने के बावजूद करारनामें की शतर् (4) (घ) (1) (2) के अनुसार 10 ू.श. आंिशक मूल्य की रािश 15 मई................
जमा करना आवँयक होगा।

(2) पत्ते बेता की अिभरक्षा, देख-रेख ूयवेक्षण तथा जोखम पर, लेिकन खंडीय वन पदािधकारी के िनयंऽण में रखे जायेंगे और इस शतर् पर िक गोदाम (मों) में िवभागीय ताला लगाकर अथवा िकसी ऐसी अन्य ूिबया द्वारा जैसी िक खंडीय वन पदािधकारी ने आदेिशत की हो, खंडीय वन पदािधकारी अथवा पिरक्षेऽािधकारी को अिभगर्मन तथा िनयंऽण रखने का पूणर् अिधकार होगा।

(3) गोदाम पक्के होंगे तथा ऐसी धनरािश के बराबर के िलये बीमा शुदा होंगे जो िक बेता के ऊपर संभवतः बकाया होगी। बीमा की गई इस धन रािश के अितिरक्त वह जहां वन िवभाग की गोदाम/ (मों) िकराये पर ली जाती है, उनका बीमा उनके िनमार्ण व्यय के बराबर की धनरािश का करायेगा। गोदाम में आग लगने एवं पत्तें जल जाने की दशा में करार अविध में यिद बीमा कम्पनी द्वारा देय

रा िश का भुगतान नहीं िकया जाता है तो देय रा िश, उस पर िवबय कर, वन िवकास उपकर एवं अन्य कर सिहत भुगतान करने की िजम्मेदारी बेता की रहेगी। ऐसे ूकरणों में देय रा िश पर ब्याज भी बेता से वसूल िकया जायेगा। बीमा कम्पनी द्वारा िकये गये भुगतान एवं देय रा िश में यिद कोई अन्तर होगा तो वसूल िकया जायेगा। बीमा कम्पनी द्वारा िकये गये भुगतान एवं देय रा िश में यिद कोई अन्तर होगा तो उसके भुगतान की िजम्मेदारी भी बेता की होगी अथार्त् अन्तर की रा िश बेता द्वारा पटायी जायेगी।

(4) ऐसी िकःत या िकःतों के सम्बन्ध में जो उपयुर्क्त उपखण्ड (दो) एवं (तीन) में विणर्त िनयत िदनांक या िदनांकों को न चुकायी जाय। 16 ूितशत की दर से ब्याज फारेःट कांशैक्ट रूपल्स में दी गई रीित में वसूल िकया जोयगा।

(ङ) (1) उपयुर्क्त उपखण्ड (ग) तथा (घ) के अधीन देय रकम के अितिरक्त यथािःथित मध्यूदेश जनरल सेल्स टैक्स एक्ट, 1958 (मध्य ूदेश सामान्य िवबय कर अिधनियम, 1958 (ब. 2 सन् 1959) और सेन्शल सेल्स टैक्स एक्ट, 1956) (केन्िीय िवबय कर अिधनियम, 1956) के उपबन्धों के अनुसार वन िवभाग द्वारा देय िवबय कर मध्य ूदेश कराधान अिधनियम (15/1982) के अन्तगर्तलगाया गया वन िवकास उपकर तथा अन्य कर उपयुर्क्त उपखण्ड (ग) और या (घ) के अधीन देय मूल्य िदये जाने के समय बेता द्वारा चुकाया जायेगा।

(2) उपखण्ड (ग) और (घ) के अधीन शोध्य रकम या िकःत जैसी भी िक दशा में तब तक चुकाई गई नहीं समझी जायेगी तब तक िक उसके साथ देय िवबय कर मध्यूदेश कराधान अिधनियम (15/1982) के अन्तगर्त लगाया गया वन िवकास उपकर तथा अन्य कर (देिखये उपखण्ड (ङ) (1)) भी पूणर्तः न चुका िदया गया हो।

(3) बेता पश्चातवतीर् दाियत्वों के िलये भी यिद कोई हो िजसमें िक इस करार के अधीन इसके बेंचे गये तेन्दू पत्तों के सम्बन्ध में राज्य शासन के िवबय कर िवभाग या केन्िीय सरकार या वन िवभाग द्वारा िवबय कर मध्य ूदेश कराधान अिधनियम (15/1982) के अन्तगर्त लगाया गया वन िवकास उपकर तथा अन्य कर के मद्धे अिधरोिपत की गयी धनरािशयों की देनगी सिम्मिलत है, उत्तरदायी होगा।

(च) शासन या उसका पदािधकारी या अिभकतार् बेता को पत्तों के पिरदान के पश्चात् मध्य ूदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार िविनयमन) िनयमावली, 1966 के ूारूप 'ठ' में उसका िवबय का ूमाण-पऽ मंजूर करेगा।

(छ) यिद पूवोर्क्त एवं िनिवदा सूचना में िविनिदर्ष्ट पिरदान तथा बय की शतोर्ं का पूणर्तः पालन/पिरपालन नहीं िकया जाता है तो पत्तोंको पिरदत्त तथा बय िकया गया नहीं समझा जायेगा।

(ज)बेता मध्य ूदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार िविनयमन) अिधनियम, 1964 तथा उसके अधीन बनाये गये िनयमों तथा इंिडयन फारेःट एक्ट, 1927 (भारतीय वन अिधनियम 1927) तथा उसके अधीन बनाये गये िनयमों के उपबन्धों के द्वारा या अधीन, जहां तक िक इस करार के संदभर् में लागू होते हों, उसके द्वारा िकये जाने के िलये अपेिक्षत समःत कायोर्ं तथा कतर्व्यों को करने तथा िनिषद्ध िकये गये िकसी कायर् के ःवयं द्वारा उनके सेवकों तथा अिभहःतांिकितयों द्वारा िकये जाने से िवरत रहने के िलये ःवयं को आबद्ध करता है और अपने अपने सेवकों तथा अिभहःतांिकितयों द्वारा इस करार के िनबन्धनों तथा शतोर्ं के सम्यक पालन तथा अनुपालन िकये जाने के िलये उक्त वन पदािधकारी के पक्ष में िनिक्षप्त की गई .... रुपये .... की रािश की ूितभूित देगा। बेता और यह भी करार करता है िक ऐसी ूत्येक चूक के िलये जो शासन को 500 रुपये (पांच सौ) की धनरािश की देनगी करेगा जो उसके द्वारा की गई हो अथवा ऐसे ूत्येक कायर् के िलये जो मध्य ूदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार िविनयमन) अिधनियम, 1964 तथा उसके अन्तगर्त बनाये गये िनयमों अथवा इस करार का उल्लंघन करते हुए, उसके द्वारा िनयोिजत िकये गये व्यिक्तयों द्वारा िकये गये हों।

(झ) यिद बेता करार की िकसी भी शतर् को भंग करे और यिद ऐसे िकसी भंग के कारण करार को समाप्त करना ूःतािवत न हो तो खंडीय वन पदािधकारी ूत्येक भंग के िलये ऐसी शािःत जो 500 (पांच सौ) रुपये से अिधक न हो, अिधरोिपत कर सकेगा। यिद शािःत की रािश 200 (दो सौ) रुपये से अिधक हो तो इस आदेश के िवरूद्ध, आदेश होने के िदनांक से 30 िदन की अविध के भीतर अपील, वन संरक्षक को की जा सकेगी। िजसका िविनश्चय अंितम तथा बन्धनकार होगा। परन्तु वन संरक्षक को की गई अपील के िनणर्य में िकसी वैधािनक िबन्दु पर पुनरीक्षण हेतु अपील मुख्य वन संरक्षक के िनणर्य की ितिथ से 45 िदन की अविध में की जा सकेगी।

(´) (1) यिद बेता अदायगी करने में या इस ूलेख के उपबन्धों में से िकसी भी उपबन्धों का अनुवतर्न करने में चूक करता है तो ऐसे िकन्हीं भी अन्य अिधकारी तथा उपचारों पर जो शासन अथवासक्षम अिधकारी को ूाप्त हो, ूितफल ू भाव डाले िबना शासन अथवा समक्ष अिधकारी अपने िवकल्प पर इस करार को समाप्त कर सकेगा तथा बेता द्वारा जमा की गई ूितभूित की 25 ूितशत रािश में से बय मूल्य के 20 ूितशत रािश के बराबर ूितभूित िनक्षेप का अिधहरण कर सकेगा और शासन या उसके पदािधकारी या अिभकतार् के पास पड़े तेन्दू पत्तोंके अपिरदत्त ःटाक को और/अथवा उपरोक्त शतर् (4) (ध) के अनुसार गोदाम में रखे तेन्दू पत्तों को यिद कोई हो, पुनः बेच सकेगा, यिद ऐसे पुनः िवबय पर ूाप्त मूल्य ऐसे अपिरदत्त ःटाक या गोदाम में रखे ःटाक के बय मूल्य से कम होता हो, तो अन्तर की देनगी बेता द्वारा मांग सूचना में उपदािशर्त की गई रािश की देनगी के िलयेखंडीय वन पदािधकारी द्वारा जारी की गई मांग सूचना की ू ािप्त के पन्िह िदन के भीतर की जायेगी। यिद वह अन्तर पन्िह िदन की उपयुर्क्त कालाविध के भीतर न चुकाया जाये तो वह बेताओं से भू-राजःव की बकाया की भांित वसूल िकया जायेगा। इसके अितिरक्त शासन अथवा सक्षम अिधकारी बेता को ऐसी अविध के िलए जो पांच साल से अिधक न हो काली सूची में अंिकत कर सकेगा। परन्तु यिद पश्चातवतीर्

िनवतर्न में अिधक रािश ूाप्त होती है, तो उस अिधक रािश पर बेता का अिधकारी अथवा दावा नहीं होगा।

(2) परन्तु यिद करारनामा समािप्त के उपरान्त एवं पत्तों की पुनः िवबय की कायर्वाही के पूवर् बेता शासन जो देय समःत धनरािश, िजसमें बय मूल्य, िवबय कर, मध्य ूदेश कराधान अिधनयम (15/1982) के अन्तगर्त लगाया गया वन िवकास उपकर, अन्य कर, ब्याज, अथर्दण्ड, िनरीक्षण व्यय िवशेष रूप से सिम्मिलत होंगे, का पूणर् भुगतान कर िदया जाता है तो तेन्दू पत्ता का अपिरदत्त ःटाक अथवा गोदाम में रखा ःटाक उसे पिरदत्त कर िदया जायेगा तथा मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) अपने ःविववेक से उक्त करार को, इकाई के बय के मूल्य के 2 ूितशत तक शुल्क लेकर अविध वृिद्ध कर पुनजीर्िवत कर सकेगा।

(5) (अ) बेता ऐसे ूपऽों पर ऐसा लेखा रखेगा तथा ऐसी पािक्षक िववरिणयां ऐसी ितिथयों को ूःतुत कर सकेगा जैसा िक अनुसूची (ग) में विणर्त है, तथा जैसी िक खंडीय वन पदािधकारी द्वारा िनधार्िरत की जाये।

(ब) िविनिदर्ष्ट क्षेऽ (ूदेश) के अन्तर बेता उसके द्वारा बय िकये गये तेन्दू पत्ते को ऐसे व्यिक्त या पक्ष को जो िविनमार्ता के रूप में पंजीकृत है, शासन अथवा उसके पदािधकारी के माध्यम से एवं ऐसी रीित तथा ऐसी शतोर्ं पर जैसी िक शासन द्वारा समय-समय पर िनधार्िरत की जाये, िबबी कर सकता है, परन्तु िबना शासन की पूवर् िलिखत अनुमित ूाप्त िकये िबबी नहीं कर सकेगा।

(स) (1) बेता करार क्षेऽ में पालवातराशी (Purning) तेन्दू पत्ता संमहण इत्यािद के दौरान सुिनिश्चत करेगा िक इन कायोर्ं में वनों को आग एवं तेन्दू पत्ता के वृक्षों की अवैध कटाई से हािन न पहुंचे। उक्त अविध में तेन्दू के वृक्षों की अवैध कटाई अथवा तेन्दू के वृक्षों शाखाओं की कटाई और वनों को अिमम लगाना पूणर्तः विजर्तः होंगे। बेता न केवल उपरोक्त हािन को होने से रोकेगा, वरन आवँयकता पड़ने पर वन िवभाग को उपरोक्त अपराधों के होने की सूचना तथा उनके रोकने में सिबय और सामियक सहयोग देगा।

करार क्षेऽ में पालवा तराशी व तेन्दू पत्ता संमहा की अविध के दौरान वनों में पाई गई तेन्दू वृक्षों की अवैध कटाई और अिग्न से हुई हािन की पूणर् जवाबदारी बेता की होगी।

(2) यिद करार क्षेऽ में पालवातराशी और तेन्दू पत्ता संमहण कायोर्ं के दौरान वनों को हािन होना पाया जाता है या बेता वनों को उपरोक्त हािन अथार्त् तेन्दू के वृक्षों की अवैध कटाई या शाखा कटाईअथवा/एवं आग से नहीं बचा पाता है, तो बय मूल्य के 5 ूितशत के बराबर की रािश बेता द्वारा जमा की गई 25 ूितशत की ूितभूित की रािश में से राजसात् कर ली जायेगी।

(6) यिद बेता िनयुक्त होने पर सिम्मिलत क्षेऽ में शाख कतर्न (Purning) करना चाहता है, तो वह शासन से कोई खचर् पाने के अिधकार के िबना तथा जब तक िक शासन अथवा उसके पदािधकारी अथवा अिभकतार् द्वारा एकिऽत पत्ते बेता को पिरदत्त नहीं िकये जाते इकाई के पत्तों में सासन के ःवत्वािधकार पर िकसी भी ूकार से ूितकूल ूभाग डाले िबना ऐसा कर सकेगा:

परन्तु शाख कतर्न (Purning) खंडीय पदािधकारी द्वारा िलिखत में अनुमित ूाप्त करने के पश्चात् ही तथा ऐसी अन्य िविध तथा ऐसी कालाविध के दौरान की जायेगी जैसा िक उनके द्वारा समय-समय पर िनिदर्ष्ट िकया जाये।

अनुसूची .... क

अनुसूची ....ख

अनुसूची .... ग

आिद

िजसके साआय में इससे सिम्बिन्धत पक्षों में ूथम बार ऊपर िलखे गये िदनांक तथा वषर् को अपने-अपने हःताक्षर कर िदये हैं।

मध्य ूदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(नाम व पूरा पता)

साक्षगण -

1. ....

2.......................

....

के हःताक्षर की उपिःथित में।

साक्षगण -

1. ....

2.........................

....

बेता के हःताक्षर

ूारूप ''घ''

(िनयम 4(2) देिखये)

पिरवहन अनुज्ञा-पऽ की मन्जूरी के िलये आवेद

(ख) बय िकये गये तेन्दू पत्तों का पिरणाम

....

(1)

....

....

वाःतिवक बोरे

(2)

....

....

मानक बोरे

(ग) वन खण्ड तथा इकाई, िजसमें पत्ते बय िकये हों

....

(घ) वह ःथान या वे ःथान जहां पत्ते संमहीत

....

िकये गये हों। यिद एक से अिधक ःथान पर .... हो तो ू

(ङ) अपेिक्षत ूकार के अनुज्ञा-पऽ का उल्लेख ....

1(च) (1) पूवर् में पिरवहन िकया गया पिरमाण ....

वाःतिवक बोरे .... मानक बोरे...........................

अनुज्ञा पऽों के ब्यौरे .... (2) पिरणाम िजसके िलये अनुज्ञा-पऽ अपेिक्षत है....................

मा.वो..

....वाःतिवक बोरे

(3) पिरवहन के िलये शेष पिरमाण .... मा.वो..............

ःथान .... मा. वो................................

(छ) अविध िजसके िलये अनुज्ञा-पऽ मान्य होना अपेिक्षत है.......................

(ज) गंतव्य ःथान जहां से और तक पत्तों का ....से पिर वहन िकया जाना है.................. ....तक

(झ) पिर वहन का साधन............ ....

(ण) मागर् िजनके द्वारा पत्तों का पिरवहन िकया जाता है ....

(त) वे ःथान जहां पत्ते जांच-पड़ताल हेतु ....

ू ःतुत िकये जायेंगे ....

(थ) वह ःथान या वे ःथान जहां पिरवहन ....

िकये गये पत्ते संमहीत िकये जावेंगे.................................त्येक ःथान पर समिहत पिरणाम का ....

(िवबय ूमाण पऽ संलग्न है)

....

ःथान ....

िदनांक .... आवेदक के हःताक्षर

पिरवहन अनुज्ञा-पऽ 1 (मुख्य)

(देिखये िनयम 4)

पुिःतका बमांक .... पृष्ठ बमांक.................. मूल

(संमहागार िडपो से संमहरण गोदाम को)

ौी/मेससर्.................... वन खण्ड.............. की इकाई बमांक............... के बेता के करार के खण्ड .... के अनुसार.............. मानक बोरों का बय मूल्य रू. .... पूणर्तः/अंशतः चुकता िकये हैं। तदनुरुप उन्हें .... वाःतिवक बोरों में बन्द .... मानक बोरों के .... संमहण िडपो (फड़) से (संमहण गोदाम) तक पिरवहन करने की आज्ञा दी जाती है।

(2) .... तक अनुज्ञा-पऽ वैध है। उपरोक्त पत्तों का पिरवहन िनम्नांिकत मागोर्ं से िकया जायेगा। .... और जांच पड़ताल एवं पिरवीक्षा के िलए िनम्नांिकत ःथानों पर ूःतुत िकया जायेगा.............................

(3) उस पिरवहन अनुज्ञा-पऽ (सहायक) का िववरण िजसके उपयोग करने की अनुमित दी गई .... तक िदनांक .... पुःतक बमांक.................... के पृष्ठ बमांक .... से .... तक िदनांक .... तक जारी करने के िलये वैध है।

---

1. मद 'च' अिध. सूचना ब. 18.1.73 दस-3 (1) िदनांक 5.9.95 जो म.ू. राजपऽ असाधारण िद. 5.9.95 के पृष्ठ 191 पर ूकािशत से संशोिधत।

पिरवहन अनुज्ञा-पऽ 1

(सहायक)

(देिखये िनयम 4)

....
..... मानक बोरे वाःतिवक बोरे
(7) पिरवहन मागर्
....
....
....
..

(8) जांच पड़ताल के ःथान ....

(9) िदनांक .... तक अनुज्ञा-पऽ वैध है।
ःथान .... जारी करने वाले के हःताक्षर
िदनांक ....समय ....जांच की गई
िदनांक
जांच

पिरवहन अनुज्ञा-पऽ 2 (िनयम 4 देखें)

पुःतक बमांक .... पृष्ठ बमांक ....

(1) बेता का नाम...

(2) इकाई बमांक .... वन खण्ड ....

(3) पिरवहन अनुज्ञा-पऽ 1 (मुख्य) का सन्दभर् ....

(1) पुःतक बमांक .... पृष्ठ बमांक ....

(2) अनुज्ञिप्तः माऽा .... मानक बोरे वाःतिवक बोरे

(3) िदनांक .... तक वैध है।

(4) इस पृष्ठ से ूसािरत होने के पूवर् ही उपरोक्त अिधकार के अन्तगर्त पिरवतर्न की गई माऽा ....

(5) उस पृष्ठ के साथ अब पिरवहन ....

की जा रही माऽा ....

पुःतक बमांक .... पृष्ठ बमांक ....

एक संमहण गोदाम से िकसी दूसरे अथवा िवतरण केन्ि के िनिमत्त(1)

बेता का नाम ....

....
िदनांक ....

(2) इकाई बमांक .... खण्ड ....

(3) खण्डीय वनपदािधकारी के अिधकार का संदभर् .... बमांक ....

(4) पिरमाण तथा अविध िजसके िलए मानक बोरे उपरोक्त 3 अन्तगर्त अिधकार वाःतिवक बोरे ूसािरत िकयाय गया है।

(5) उपरोक्त अिधकार के अन्तगर्त पूवर् में मानक बोरे पिरवहन की गई माSा। वाःतिवक बोरे

(6) इस अनुज्ञा-पS के साथ पिरवहन की मानक बोरे जा रही माSा। वाःतिवक बोरे (बोर

(7) .... से .... तक

(8) पिरवहन का मागर् ....

(9) जांच-पड़ताल के ःथान/ःथानों के नाम ....

(10) अविध .... तक यह अनुज्ञापन-पS वैध है।

ःथान .... जारी करने वाले के हःताआज्ञर

िदनांक .... समय ....

जांच िकया -

जांच करने वाल

पिरव

हन अनुज्ञा-पS-3 (देिखये िनयम 4) सट्टेदारों अथवा मजदूरों में िवतरण हेतु

(1) बेता का नाम ....

(2) इकाई बमांक .... वन खण्ड ....

(3) संमहण िडपो जहां से पत्ते िदये गये हैं ....

(4) उस व्यिक्त का नाम िजसे पत्ते िदये गये हैं ....

(5) ःथान जहां पिरवहन िकये जा रहे हैं ....

(6) माSा ....

(7) समयाविध िजसमें पत्तों की खपत होगी।

□ ःथान ....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

िदनांक .... समय ....

परिवहन
अनुज्ञा-पऽ
4 (मुख्य)

पुःतक बमांक .... पृष्ठ ....

मध्य ूदेश के
बाहर परिवहन के िलये

(1) ौी/मेससर् .... बेता, इकाई नं.
.... वन मण्डल................... को ....
मानक बोरे जो .... वाःतिवक बोरों में रखे हैं,
को .... से .... तक सड़क द्वारा, पश्चात्
.... तक रेल द्वारा परिवहन की अनुमित दी
जाती है।

(2) मध्य ू देश के बाहर ू ाप्तकतार् .... का नाम व पता ....

(3) यह अनुज्ञा-पऽ िदनांक

....
....
......
तक
वैध
है।ः
थान...
....
....
....
....
....
वन
मण्ड
लािधकारीिदनांक
....
....
....
....
.....
वन
मण्डल

जारी करने वाले अिधकारी के हःताक्षरनोट - पत्तों के परिवहन करने के ि

परिवहन अनुज्ञा-
पऽ-4 (सहायक)

पुःतक बमांक .... पृष्ठ बमांक ....

(1) बेता का नाम ....

(2) इकाई बमांक .... वन मण्डल.........................

(3) परिवहन अनुज्ञा
पऽ 4 (मुख्य) का
सन्दभर् -

(i)
पुःतक ब.
....
पृष्ठ बमांक
....

मानक बोरे

(ii)

के साथ पिरवहन की जा रही माऽा
(बोरे का ब. तथा माऽा दशार्वे)। मान
....

अ
नु
ज्ञा
ि
प
त

मा
ऽ
ा

वाःतिवक
बोरे(7)
....
.... से
....
तक
(8) पिरवहन
मागर्
....
....
..

(9) जांच पड़ताल का ःथान ....

(10)
िदनां
क
....
....
....
तक
अनुज्ञा-
पऽ वैध
है।

ःथान
....
....
....

िदनांक .... समय ....

जारी करने

ःथान ....

वाःतिवक बोरे िदनांक .... समय ....

(iii) अविध
....
तक वैध है।
(4) इस पृष्ठ के ूसािरत होने के
पूवर् उपरोक्त अिधकार के
अन्तगर्त पिरवहन की गई माऽा:
पुःतक ब.
.... पृष्ठ
बमांक............. िदनांक
....

(ii) माऽा ....
मानक बोरे ....
वाःतिवक बोरे(5) इस अनुज्ञा-पऽ

नोट - जब तक वन मण्डलािधकारी द्वारा िलिखत में या अन्यथा ूािधकृत न िकये जावे अविध 48 घण्टे से अिधक नहीं होगी।
ू

ारूप ङ

(i) अनुज्ञा-पऽ 4 (सहायक) के ब्यौरे:
(िनयम 6(2) देिखये)

िनयम 10 के अधीन उगाने वालों के रिजःशीकरण के िलये आवेदन पऽ
(क) आवेदक का नाम, िपता का नाम तथा पता
....
.....

………………………………………………………………
………………………………………………………………

…………………………

आवेदक के हःताक्षर

(ख) उन भूखण्डों की िःथित क्षेऽफल खसरा नं. िजन पर तेंदू पत्ते उगाये जाते हैं....................

(घ) ूत्येक भूखण्ड में िवद्यमान तेन्दू की …………………………………… …………………………………… …………… झाि़डयों की संख्या ....

(ङ) क्या वे पत्ते वािणिज्यक फसल के ……………………………………… ……………………………………… ………… रूप में उगा रहा है । यिद ऐसा है तो ……………………………………… ……………………………………… ……… उसने कोई काट-छांट की है, तथा ……………………………………… ……………………………………… …………………

गत तीन वषोर्ं में क्या खचर् हुआ ……………………………………………………… ……………………………………………

ूत्येक वषर् के खचर् का ब्यौरा िदया जावे.. ....

(च) पत्तों का अनुमािनत उत्पादन ....

(छ) गत तीन वषोर्ं में िकतना पत्ता ....

संमहीत िकया गया। ूत्येक वषर् ....

के सम्बन्ध में उत्पादन का िववरण िदया जावे ....

(ज) गत दो वषोर्ं का तुड़ाई के मौसम में ....

अथार्त् वषर् .... एवं .... में.....................................

पत्ते िकसको तथा िकतनी रकम में बेचे गये ....

(झ) वह ःथान या वे ःथान जहां तेन्दू पत्ता पिरदान होने .... तक संमहीत िकये जावेंगे ....

ःथान ....

िदनांक ....

ूरूप चार

तेन्दू पत्ता उगाने वालोंके रिजःशीकरण का ूमाण-पऽ

(िनयम 6(2) देिखये)

पुःतक बमांक .... पृष्ठ बमांक .... ू

.... आत्मज .... माम .... थाना..................... तहसील..................... िजला......................... वन खण्ड......... .... में िःथत, को..................................

मध्यूदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार िविनयमन) अिधनयम, 1964 की धारा 10 के ूयोजन के िलये तेन्दू पत्ता उगाने वाले के रूप में रिजःशीकरण िकया जाता है। उनके िनम्निलिखत खातों में बीड़ी िनमार्ण योग्य तेन्दू पत्तों का अनुमािनत वािषर्क उत्पादन .... मानक बोरा है।

संमहण केन्िर के ःथान िनम्न होंगे -

(1) ....

(2) ....

(3) ....

खातों का िवतरण -

....

....

वनमण्डलािधकारी के हःताक्षर

वन मण्डल

िदनांक ....

ू

ूरूप छ

(िनयम 8(2))

दे
ि
ख
ये
)

ूाप्त िकया जाता है
....
....

(च) केन्िीय आबकारी िवभाग के अन्तगर्त रिजःशेशन बमांक
....

धारा 11 के अन्तगर्त ।िविनमार्ता और व्यापारी के रिजःशीकरण के िलये आवेदन-पऽ -

(1) आवेदक का नाम, िपता का नाम, पता। यिद वह रिजःशीकृत फमर् या कम्पनी हो तो, रिजःशीकरण का बमांक, तथा वषर्। मुख्तारनामा धारण करने वाले व्यिक्त का नाम व पता मुख्तारनामे की ू

(2) कारोबार का/के ःथान, ूधान कायार्लय या मुख्यालय का ःथान, माम नगर तहसील, पुिलस-थाना, िजला।(3) मानक बोरों में तेन्दू पत्तों के व्यापार का िववरण -

(क) ूितवषर् िनिमर्त बीिड़यों का औसत पिरणाम .... और/या गत तीन वषोर्ं में राज्य से बाहर िनयार्त िकये गये तेन्दू पत्तों का औसत पिरमाण तथा गत तीन वषोर्ं के दौरान िनयार्त िकये पत्तों का पिरमाण - माऽा

(मानक बोरों में)

वषर् ....

वषर् ....

वषर् ....

(ख) िनमार्ता की दशा में व्यापार िचन्ह (यिद हो) ....

िनयार्तक की दशा में उस ःथान या ःथानों ....

के नाम जहां तेन्दू पत्ते िनयार्त िकये गये ....

(ग) तेन्दू पत्तों की वािषर्क अनुमािनत माऽा (मानक बोरों) में िनम्न ूयोजनों के िलये - ूयोजन माऽा (मानक बोरों में)

(i) बीिड़यों के िनमार्ण ....

(ii) िनयार्त ....

(घ) गोदाम/गोदामों के ःथान ....

नाम जहां आवेदक के पत्तों का ःटाक संमहीत िकया जाता है ....

(ङ) रीित, िजसमें िक अपेिक्षत ःटाक ....

---

1. म.ू. शासन अिध. ब. एफ 26.2.2002 दस-3 िदनांक 6.1.09 द्वारा संशोिधत। अिध. म.ू. राजपऽ भाग 4(ग) िद. 16.1.09 पृष्ठ 85-86 पर ूकािशत।

(4) आवेदक बीिड़यों के िनमार्ता पत्तों के िनयार्तक के रूप में ित संलग्न की जावे।..................

कब से तेन्दू पत्तों का व्यापार करता है
....

(5) दो ूितिष्ठत व्यिक्तयों के नाम व पते िजनकों िक आवेदन पऽों के सत्यापन के िलये हवाला िदया जासके।

(1) ....

(2) ....

(6) मानक बोरों में पत्तों का पिरमाण िजसके ....

िलये रिजःशीकरण अपेिक्षत है।
....

(7) वषर् िजसके िलये रिजःशीकरण अपेिक्षत है।
....

(8) क्या आवेदक पूवर् में रिजःशीकृत िकया गया था, यिद हो, तो।

वषर् वनखण्ड पत्तों का पिरमाण

(9) अन्य कोई जानकारी जो आवेदक .... देना चाहे, िक वह बीिड़यों का .... वाःतिवक िनमार्ता तथा/या पत्तों का .... वाःतिवक िनयार्तक है। ....

(10) रिजःशीकरण फीस ब. .... की देनगी का ूमाण-पऽ।

ःथान

िदनांक

आवेदक के हःताक्षर

ारूप 'ज'

(िनयम 4(2) देिखये)

।िविनमार्ता और व्यापार के रूप में रिजःशीकरण का ूमाण-पऽ।

पुःतक बमांक .... पृष्ठ बमांक ....

यह ूमािणत िकया जाता है िक ौी/मेससर् ....

आत्मज.. िनवासी (ः्थान) .... पुिलस थाना .... तहसील.................................. िजला...................... को मध्य ूदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार िविनमयन) िनयम, 1964 की धारा 11 तथा उसके अधीन बनाये गये िनयमों के ूयोजनों के िलये 1िविनमार्ता और व्यापार के रूप में वषर् ....मानक बोरे हैं और जो िनम्निलिखत में से एक या अिधक या समःत ःथानों पर संमीहत िकये जावें।

1. अिध. ब. एफ. 26.2. 2002 दस-3 िद. 6.1.0 9 द्वारा संशोिधत।

(1)........................

(2)........................

(3) ....

कायार्लय की सील

िदनांक

वन मण्डलािधकारी के हःताक्षर

ितिलिप वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता, भोपाल (म.ू.) को सूचनाथर्।

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ारूप ‘झ’ (िनयम 8(4) देिखये)

1िविनमार्ता और या व्यापारी के तेन्दू पत्तों के लेखाओं का रिजःटर

गोदाम का नाम .... िनमार्ता/िनयार्तक का नाम .... रिजःशेशन ब............................

गत िववरण ूःतुत करते समय शेष ःटाक मानक बोरोंम		ःटाक जो और ूाप्त हुआ (मानक बोरों में)	कालम(3) मेंतेन्दूपत्तों के अजर्न की रीित (ःथािपत करने योग्यिववरण)	काल का यो
	िदनांक	मानक बोरों में वन मण्डलािधकारी वन मण्डल		
(1)	(2)	(3)	(4)	

िनवतर्न का िववरण (ःतापनीय ब्यौरे रमाकर् जैसे खचर् हुआ, िवबय हुआ या अनुपयोगी होने से नष्ट िकया)

कालम (7) के पश्चात शेष तेन्दूपत्तोंकी मािऽा मानक बोरों में

(8) (9)

.... को समाप्त होने वाली कालाविध के िलये िववरण।

िनमार्ता/िन... का िनयतकािलक िववरणी।

ू

ारूप ‘ज’

(िनयम 8(4) देिखये)

नाम .... रि

जः
शे
श
न

ब
. . . .

गत तथा इस िववरणी के बीच उपयोग या िनिवतर्त की गई माSा (मानक बोरों में) (7)	िनवर्तन की रीि पिरमाण का उपयोग या अनुपयोगी होने िदया गया (8)

(1)
(2)
(3)
- -

गोदाम का बमांक तथा नाम जहां ःटाक संमिहत िकया गया हो	गत िववरणी ू ःतुतकरते समय शेष ःटाक या रिजःशीकरण के समय हःतगत ःटाक (मानक बोरोम)	गत िववरणी तथा इस िववरणी के बीच जोड़ा गया ःटाक - - - -			कालम (2) तथा (3) का योग (माक बोरों में)
		(माSा) मानक बोरों में - - - - - -	ारूप 'झ' के रिजःटर के पृष्ठ बमांकों का संदभर्	बय रसीद आिद जैसे साआय का संदभर् देते हुए पत्तों के अजर्नका मास	
(1)	(2)	- (3)	(4)	(5)	(6)
- िनवर्तन					

- - - - -

.
अि
ध
.
ब
.
ए
फ
.
2
6
.
2
.
2
0
0
2
द
स
-
3
□
ि
द
.
6
.
1
.
0
9
द्वा
रा
सं
शो
ि
ध
त
।

ूारूप 'ट'
(िनयम 8(5) देिखये)
िनमार्ता/िनयार्तक द्वारा घोषणा

मैं/हम .... में घोिषत करता हूं/करते हैं िक मैं/हम बीि़डयों का वाःतिवक िनमार्ता तथा /तेन्दू पत्तों का वाःतिवक िनयार्तक हूं/हैं और .... राज्य के .... िजले में कारबार कर रहा हूं मेरे कारोबार के ब्यौरे िनम्न ूकार हैं -

(1) व्यिक्त या फमर् या कम्पनी .... का नाम िजसके न .... िकया जाता है।

(2) फमर् या कम्पनी का रिजःशीकरण बमांक ....

(3) कारबार के केन्िोंं के नाम, जहां कारबार या गोदाम हो -

(1) .... (2) .... (3)...................

(4) घोषणा ूःतुत करते समय ूत्येक गोदाम में मानक बोरोंमें तेन्दू पत्ता का वतर्मान ःटाक-संमहण केन्ि गोदाम का नाम पिरमाण (मा

(1).....................

(2).....................

(3)....................

(4) बीड़ी/बीि़डयों का/के व्यापार िचन्ह .... (यिद कोई हो)

(5) पूवर् के दो वषोर्ं में ूितवषर् िनिमर्त बीि़डयों का पिरमाण तथा उपयोग में लाये तेन्दू पत्तों का पिरमाण-

अनुबमांक (1)	वषर् (2)	िनिमर्त बीि़ड (3)

(7) आगामी वषर् में बीि़डयों का अनुमािनत िनमार्ण और उसके तेन्दू पत्तों की ूाक्किलत आवँयकता -

(क) ूाक्किलत िनमार्ण संख्या में ....

(ख) तेन्दू पत्तों की ूाक्किलत माऽा (मानक बोरों में)..................

(8) पूवर् के दो वषोर्ं। में ूित वषर् िनयार्त िकये गये तेन्दू पत्तों का पिरमाण:

वषर् (1)	िनयार्त का ःथान (2)	िकसको िनय गया या बेचा (3)

(1).................. (1)
(2)
(3)
(2) .... (1)
(2)

(9) आगामी वषर् .... के दौरान ूाक्किलत िनयार्त की माऽा..

(मानक बोरों में)

मैं यह और घोिषत करता हूं िक मैंने मध्य ूदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार िविनयमन) अिधनयम, 1964 तथा उसके अधीन बनाये गये िनयमों के उपबन्ध पढ़ िलये है तथा समझ िलये हां।

ऊपर िदये समःत ब्यौरे मेरे सवोर्त्तम ज्ञान के अनुसार ठीक हैं और उसके ूमाण में साआय पेश कर सकूंगा।

िनमार्ता/िनयार्तक के हःताक्षर

घोषणा ू ःतुत करने का िदनांक .... िदनांक .... को पदािधकारी .... को ःथान .... पर दो ूितयों में ूःतुत की गई।

िनमार्ता/िनयार्तक के हःताक्षरितिलप वन संरक्षक

िनमार्ता/िनयार्तक के हःताक्षर

ारूप 'ठ'

(िनयम (9) देिखये)

िवबय का ूमाण-पऽ

पुःतक बमांक .... पृष्ठ बमांक..

(1) बेता का नाम...
....

(2) िवबयगार तथा इकाई का नाम
....

(3) िवबय पिरदान का िदनांक
……………………………………
……………………………………
………....………………ःथान
....

िदनांक ....

खण्ड - 3

तेन्दूपत्ता इकट्ठा करने वाले सभी संमाहकों

शासकीय पदािधकारी अिभकतार्

के
ि
ल
ये

स
मू
ह

जी
व
न

बी
मा

की

अि
भ
न
व

यो
ज
ना

तेन्दूपत्ता इकठ्टा करने वाले सभी लोगों के िलये म.ू. सरकार ने एक अनूठी सामािजक योजना लागू की है। इस योजना से 24 लाख से अिधक परिवारों को सुरक्षा िमल रही है।

इस बीमा योजना की खास-खास बातें

- यह योजना तेन्दू पत्त इकट्ठा करने वाले उन सभी लोगों पर लागू है िजनकी उे 18 वषर् से 60 वषर् से बीच की है।
- यह योजना गत कई वषोर्ं से लागू है। यिद िकसी परिवार में िकसी तेन्दूपत्ता इकट्ठा करने वाले सदःय की मृत्यु हो तो उसके द्वारा नामांिकत व्यिक्त, बीमें की रकम पाने का हकदार होगा। यिद िकसी ऐसे व्यिक्त की मृत्यु उसके द्वारा नामांकन फामर् भरने के पूवर् हो गई है या हो जाती है, तो बीमें की रकम पाने के हकदार उसके वािरस होंगे।
- सामान्य मृत्यु के मामले में बीमें की रकम 3500/- रु. होगी लेिकन यिद मृत्यु दुघर्टना में हुई हो तो बीमें की रकम 7000/- रु. होगी। कुछ मुख्य दुघर्टना मृत्यु की दशामें बीमें की रकम 25000/- रु. तक होगी।
- इस योजना के अन्तगर्त उपलब्ध होने वाली रािश अन्य योजनाओं से ूाप्त होने वाली रािश के अितरिक्त होगी।
- इस योजना के अन्तगर्त िकसी भी तेन्दू पत्ता इकट्ठा करने वाले व्यिक्त को कोई (बीमें की िकःत) नहीं देना पड़ेगा। तेन्दू पत्ता इकट्ठा करने वाले लोगों का बीमा करने के िलए उनकी ओर से हर साल 339 रु.

  या अिधक रकम म.ू. सरकार देगी।
- इस योजना का िबयान्वयन म.ू. लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा िकया जायेगा।

दावा रािश ूाप्त
करने की ूिबया

1. यिद तेन्दू पत्ता इकट्ठा करने वाले िकसी व्यिक्त की मृत्यु हो जाए तो उसके द्वारा नामांिकत व्यिक्त अथवा उसके वािरस िनधार्िरत दावा फामर् भरकर संबंिधत, ूाथिमक वन उपज सहकारी सिमित को ूःतुत करेंगे। ूाथिमक सिमित ू करण का पूणर् परीक्षण व पूितर् उपरान्त तत्काल ूकरण िजला यूिनयन को ूःतुत करेंगे। िजला यूिनयन द्वारा ू करण का पूणर् परीक्षण कर यिद कोई ऽुिट हो तो उसकी पूितर् कराकर ूकरण जीवन बीमा िनगम को ूेिषत करेंगे।2. इस योजना में सिम्मलत ूत्येक व्यिक्त को चािहये िक उसकी मृत्यु होनेपर बीमा रािश ूाप्त करने वाले व्यिक्त का नामांकन िनधार्िरत फामर् में कर दें, तािक उसके घरवालों को बीमा की रािश िमलने में किठनाई न हो। यह अत्यन्त आवँयक है व ूबंधक व अध्यक्ष ूाथिमक सिमित एवं नोडल आिफसर यह सुिनिश्चत करें िक नामांकन पऽ ूत्येक संमहक द्वारा भरा जा चुका है।
3. नामांकन तथा दावा फामर् ूाथिमक वन उपज सिमित से ूाप्त िकये जा सकते हैं। एवं वहीं भरकर जमा िकये जा सकते हैं।
4. यिद नामांकन अथवा दावा फामर् ूाप्त करने, दावा ूःतुत करने या दावा रािश ूाप्त करने में कोई किठनाई या अड़चन आये तो संबंिधत वन मण्डलािधकारी, वन पिरक्षेऽािधकारी या पिरक्षेऽ सहायक से संपकर् ःथािपत करें।5. मृत्यु ूमाण पऽ थाने का भेजा जाये अथवा सरपंच के मृत्यु ूमाणपऽ में पंजीयन बमांक िलखकर मूल ूित भेजें। सिमित अध्यक्ष द्वारा ूदत्त मृत्यु ूमाण पऽ मान्य नहीं होगा।
6. दुघर्टना मृत्यु दावा हेतु आवँयक दःतावेज।
1. ूथम सूचना िरपोटर् थाने से, सील आवँयक रूप से लगी हो (एफ.आई.आर.)
2. पोःटमाटर्म िरपोटर् (पी.एम. िरपोटर्)
3. पुिलस अिन्तम िरपोटर्

ि
त
,

भा
र
ती
य

जी
व
न

बीमा िनगम 60-B होशंगाबाद रोड़, जीवन िशखा, भोपाल नामांिकत व्यिक्त द्वारा पूणर्

करने हेतु

1. ूाथिमक वन उपज सिमित का नाम
2. िजला युिनयन का नाम
3. मृतक का नाम
4. मृतक के िपता/पित का नाम
5. मृतक का पता
अ. माम ब. तहसील स. िजला
6. मृतक की आयु
7. योजना में शािमल होने की ितिथ
8. मृत्यु का ःथान
9. मृत्यु का ःथान
10. मृत्यु का कारण
11. मृत्यु यिद दुघर्टना से हुई हो तो दुघर्टना का संिक्षप्त िववरण
12. नामांिकत व्यिक्त/दावेदार
1. नाम तथा आयु
2. मृतक से संबंिध
3. पूणर् पता
अ. माम
ब. तहसील
स. िजला
13. अिभभावक का नाम व पूणर् पता (यिद दावे के समय नामांिकत व्यिक्त नाबािलग हो)

ःथान ....

िदनांक ....

दावेदार के पूणर् हःताक्षर

नामांकन - पऽ

पऽ - एक

तेन्दूपत्ता संमाहकों के िलए समूह बीमा योजना में सिम्मिलत होने वाली व्यिक्त के द्वारा भरे जाने वाला नामांकन-पऽ

मैं ....
..िपता/पित का नाम ौी ....
िनवास ःथान...
मोहल्ला/माम/ूाथिमक सिमित ....
तहसील..................................... िजला
.... का
िनवासी...

मैं (व्यवसाय) .... में कायर्रत हूं तथा तेन्दूपत्ता संमहण का कायर् वनोपज सिमित .... िजला यूिनयन .... में करता हूं।

मैं योजना के िनयमों के अन्तगर्त एतद द्वारा ौी/ौीमती .... िपता/पित ौी .... को नामांिकत करता/करती को नामांिकत करता/करती हूं। इनकी उॆ ....है तथा वे मेरे (संबंध िरँता) .... हैं तथा उनका पता .... हैं।

यह नामांिकत व्यिक्त मेरी मृत्यु होने के पश्चात् उस योजना के अन्तगर्त रािश ूाप्त करने का अिधकारी होगा/होगी।

आज

िदन.......................... माह .... सन् 20................ पर हःताक्षिरत िकया गया।

साक्षीः

1. हःताक्षर ....

2. नाम............................

3. पता...............................

सदःय के हःताक्षर

ःथान.............................. िदनांक .... माह ....सन् 19.....

साक्षी ....

नाम..

पता...

दावेदार की सही

सहकारी सिमित के अिधकृत
अिधकारी द्वारा ूमाण पऽ

यह ूमािणत िकया जाता है िक दावा पऽ, िवमुिक्त पऽ एवं अिमम रसीद में दशार्यी गयी सम्पूणर् जानकारी हमारे अिभलेखों तथा सूचना के अनुसार सत्य है। मृतक व्यिक्त हमारे अिभलेखों में सूची बं. पर उिल्लिखत व्यिक्त है। मृत्यु दावे के अन्तगर्त रु. 3500/- तीन हजार पांच सौ रुपये, माऽ रु. 7000/- (सात हजार रु. माऽ)/ रु. 25000/- (पच्चीस हजार रु. माऽ) का चेक दावेदार के दशार्ये पते पर भेजने का कष्ट करें। दावे के भुगतान हेतु नगर पािलका/माम पंचायत .... द्वारा िदनांक .... को जारी मृत्यु ू .... समक्ष अिधकारी द्वारा ूमािणत संलग्न है।

अध्यक्ष/ूबंधक; िजला तेन्दूपत्ता संमाहक सहकारी सिमित

पऽ - दो (ब) िवमुिक्त पऽ

मैं/ौी/ौीमती कुमारी (दावेदार का नाम) .... एतद् घोिषत करता/करतीहूं िक ौी/ौीमती कुमारी सदःय का नाम) .... जो म.ू. तेन्दू पत्ता संमाहक सामािजक सुरक्षा समूह बीमा योजना के/की िदनांक .... से सदःय/सदःया थे/थी, की िदनांक .... को मृत्यु हुई है उक्त योजना के िलये िकए गए नामांकन के अनुसार/के अन्तगर्त मैं मृत्यु िहतलाभ की रािश ूाप्त करने का/की दावेदार हूं।

एतद् द्वारा मैं भारतीय जीवन बीमा िनगम से योजना िनयमानुसार रु. 3500 / - (रु. तीन हजार पांच सौ माऽ) रु. 7000 / - रु. सात हजार माऽ रु. 25000 / - रु. पच्चीस हजार िसफर् ःवगीर्य ौी/ौीमती कुमारी (बीिमत सदःय का नाम) के दावे बाबत्, रािश ूाप्त करने के पावती देता/देती हूं।

के

हः
ता
क्ष
र

ित हःताक्षर, ूबंधसंचालक,
िजला यूिनयन कायार्लय
सील

नाम.....................................

सील